कार्यालय सहायक निदेशक (शष्य)
भूमि संरक्षण–सह–
पी0 आई0 ए0 WDC - PMKSY 2.0 चन्दौती,
बाजार समिति प्रांगन, गया

बिहार सरकार

सहायक निदेशक (शष्य) भूमि संरक्षण, गया सह परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा केन्द्र प्रयोजित **WDC– PMKSY2.0** भूमि संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार अन्तर्गत गया जिले में जलछाजन समिति की गठन एवं सचिव पदों पर मासिक परिश्रमिक के आधार पर चयन हेतु उम्मीदवारों से विहित प्रपत्र में आवेदन आमंत्रित किया जाता है।

संबंधित पंचायत के मुखिया जलछाजन समिति के पदेन अध्यक्ष हेागें। आवेदन पत्र का विहित प्रपत्र, सचिव चयन एवं जलछाजन समिति के सदस्यों का चयन संबंधी अर्हता की मार्गदर्शिका सहायक निदेशक (शष्य) भूमि संरक्षण कार्यालय, गया के सूचना पट्ट पर एवं जिले के बेबसाईट http://gaya.bih.nic.inपर उपलब्ध है। जलछाजन समिति के सदस्यों के चयन एवं सचिव पद हेतु तैयार किये गये मेधा सूची का ग्राम सभा द्वारा अनुमोदन के लिये पंचायतवार ग्राम सभा की तिथि निम्नांकित है–

1. आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि– 26.12.2023 (अंतिम तिथि के बाद प्राप्त आवेदन पत्र पर विचार नही किया जायेगा।)
2. कॉन्सलिंग की तिथि – 02.01.2024 से 04.01.2024 तक
3. औपबंधिक मेधा सूची का प्रकाशन – 08.01.2023
4. दावा/आपत्ति की तिथि – 10.01.2023

अंतिम मेधा सूची का प्रकाशन–13.01.2024

क0 सं0	पद का नाम	प्रोजेक्ट का नाम	प्रखण्ड का नाम	पंचायत का नाम	ग्राम का नाम	सचिव पद की सं0	ग्राम सभा का स्थल	ग्राम सभा की तिथि/समय 10 AM
1	सचिव जलछाजन समिति	WDC - PMKSY 2.0 - IV	फतेहपुर	उत्तरी लोधवे	कांटी, बेला, चरघरवा, परतापपुर	1	पंचायत भवन/सामुदायिक भवन	16/1/2024
2		WDC - PMKSY 2.0 - IV		नौडिहा झुरांग	डिबो बसेहरा, झुरांग, बड़गाँव, गोली, नौडिहा, हराखुरा, मोचारख, हरलीकांसी, तेतरिया, भुलुआनी, मंझला कला, रेहर, रेगैनी, सरने, चोनड़ी, तैगनी, भूपत बांध, धनचू, जयपुर, गम्हरी	1	पंचायत भवन/सामुदायिक भवन	18/1/2024
3		WDC - PMKSY 2.0 - IV		कठौतिया केवाल	कठोतिया केवाल, बगई, मनहोना, गोबरदाहा, पतवास, रूई धमना, तारो, डुनडु, बरदाग	1	पंचायत भवन/सामुदायिक भवन	20/1/2024
4		WDC - PMKSY 2.0 - II		दक्षिणी लोधवे	लोधवे	1	पंचायत भवन/सामुदायिक भवन	16/1/2024

जलछाजन समिति के सचिव के लिये अर्हता

1. जलछाजन सचिव चयन हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता स्नातक उत्तीर्ण रहेगीं। **B.Com**अभ्यार्थी को **प्राथमिकता** दी जायेगी। शेष स्नातक अभ्यर्थी जैसे B.Sc, B.A, BBM, B.Sc (Ag), B.Tech, B.E इत्यादि को समान्य स्नातक ही समक्षा जायेगा एवं मेघा सूचि तैयार करने मे प्राप्त अंक के अनुसार वरीयता देते हुए मेधा सूची तैयार की जायेगी। अभ्यर्थी नहीं उपलब्ध होने पर मध्यवर्ती (इंटरमीडिएट) आवेदन पर विचार किया जायेगा तथा इसमें **I.Com**को **प्राथमिकता** दी जाएगी। शेश मध्यवर्ती(इंटरमीडिएट) अभ्यर्थी जैसे I.Sc, I.A, Diploma इत्यादि को समान्य मध्यवर्ती (इंटरमीडिएट) मे रखा जायेगा एवं तदानुसार मेघा सूची तैयार की जायेगी।
2. चयन प्रक्रिया में किसी वर्ग विशेष को प्राथमिकता देय नहीं होगा।
3. अभ्यर्थी को भारत का नागरिक होना चाहिए।
4. अभ्यर्थी की आयु न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम 40 वर्ष होगी।
5. अभ्यर्थी को संबंधित **जलछाजन पोषक क्षेत्र का स्थायी निवासी होना अनिवार्य होगा।** इसके लिए सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत आवासीय प्रमाण–पत्र (छः माह के अन्दर निर्गत) एवं मतदाता पहचान पत्र की छाया प्रति जिसमें अभ्यर्थी का वार्ड सं0 ग्राम एवं पंचायत का नाम अंकित हो, आवेदन के साथ जमा करना होगा।
6. सभी तरह के जनप्रतिनिधियों के परिवार/रिश्तेदार के सदस्य इस पद के लिए अयोग्य होंगे। (रिश्तेदार से अर्थ है माँ, पिता, पत्नी, पुत्र, बहु, सहोदर भाई एवं उनका परिवार बहन, पुत्री तथा इसके साथ महिला जनप्रतिनिधि के मामले में उनके पति, पुत्र, पुत्री, बहु, सास, ससुर, पति के सहोदर भाई का परिवार)
7. संबंधित जिले में पदस्थापित सरकारी/अर्द्धसरकारी सेवकों के परिवार के सदस्ये/रिश्तेदार इस पद के लिए अयोग्य होंगे।(रिश्तेदार से अर्थ है माँ, पिता, पत्नी, पुत्र, बहु, सहोदर भाई एवं उनका परिवार बहन, पुत्री तथा इसके साथ महिला जनप्रतिनिधि के मामले में उनके पति, पुत्र, पुत्री, बहु, सास–ससुर, पति के सहोदर भाई का परिवार)
8. विभिन्न सरकारी समाग्रियों के विक्रेताओं (जैसे–जनवितरण प्रणाली विक्रेता, घुमन्तु किरासन तेल के विक्रेता, पैक्स आदि) एवं उनके परिवार के सदस्य। रिश्तेदार इस पद के लिए अयोग्य होंगे। (रिश्तेदार/परिवार से अर्थ है माँ, पिता, पत्नी, पुत्र, बहु, सहोदर भाई एवं उनका परिवार बहन, पुत्री)
9. चयन के आधार–पंचायत के परियोजना क्षेत्र के राजस्व ग्रामों की आयोजित ग्राम सभा में सचिव के मेघा सूची पर विमर्श एवं अनुमोदन प्राप्त कर सचिव के चयन प्रक्रिया को अंतिम रूप दी जायेगी। नियोजित जलछाजन सचिव का मानदेय 5000/– रू0 प्रतिमाह होगी।

आवदेक विहित प्रपत्र में आवेदन सहायक निदेशक (शष्य) भूमि संरक्षण, गया सह परियोजना कार्यान्वयन एजेन्सी (WDC - PMKSY 2.0) चन्दौती, बाजार समिति प्रांगन, गया, पिन कोड 823001 के कार्यालय में स्वीकार किए जायेंगे या निबंधित डाक से उक्त पते पर भेजे जा सकते है।

उक्त सूचना state.bihar.gov.in/prdbihar पर भी प्राप्त की जा सकती है।

सहायक निदेशक (शष्य) भूमि संरक्षण,

PR- 013285(Agriculture) 2023-24 –सह–पी0 आई0 ए0 (WDC - PMKSY 2.0) गया

नशे से बचने का है एक ही उपचार, दृढ़ संकल्प और परिवार से प्यार।